

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.4(ई)डीपीसी 2017-18/अलेसे-III/S79

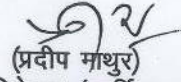
दिनांक : 17/08/2017

कार्यालय आदेश

कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक शीघ्र आयोजित होने की संभावना है। निम्न कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा उनकी संतान संबंधी सूचना इस विभाग में अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है:-

क्र. स.	नाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	मेरिट नम्बर	लिक नम्बर	डीपीसी वर्ष
1	महेश चन्द शर्मा (से.नि. 30.09.2013)	20.09.1953	245/83	—	2010-11
2	कोशल किशोर शर्मा	21.07.1971	246/94	2698	2014-15
3	भवर् लाल मेहता	01.10.1959	310/86	3646	2015-16
4	रामशरण शर्मा	13.02.1971	366/94	2548	2015-16
5	राजेश वर्मा	01.10.1971	434/94	2617	2015-16
6	राजू सोनी	01.01.1973	464/94	2638	2015-16
7	नरेन्द्र कुमार गुप्ता	08.08.1973	DGS	6038	2015-16
8	सावरमल	12.11.1961	73/94 आर	8899	2015-16
9	नरपत सिंह राजपुरोहित	01.01.1967	93/94 आर	8917	2015-16

अतः जिन कनिष्ठ लेखाकारों द्वारा पदोन्नति हेतु संतान घोषणा पत्र अभी तक निदेशालय को नहीं भिजवाया गया है, को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संतान संबंधी वांछित घोषणा (निर्धारित प्रपत्र में) तुरन्त निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी पदोन्नति सम्भव नहीं होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्मिक की होगी। संतान घोषणा पत्र नहीं भिजवाने की स्थिति में कार्यालय आदेश की अवहेलना पर संबंधित कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।


(प्रदीप माथुर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक: एफ.4(ई)डीपीसी 2017-18/अलेसे-III/S79

दिनांक : 17/08/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/डीपीसी सेल को उनके यू.ओ.नोट सं. 89 दिनांक 11.08.2017 के क्रम में।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)